(ख) प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा यदि समय पर निर्वाचन नहीं हो सका तो समिति उस समय तक बनी रहेगी जब तक निर्वाचन होकर नई प्रबंध समिति का गठन न हो जाये।

10- प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य तथा अधिकार :-

(अ) अध्यक्ष (1) महासभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। (2) संस्था के कार्यों का कुशल रूप से संचालन सुनिश्चित करना (3) खर्च के लिये 1000/-रुपये तक एक बार में अनुमति देना (4) प्रबंध समिति के कार्यों को कुशल रूप से चलाना तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को देखना।

(ब) उपाध्यक्ष :- (1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करना तथा अध्यक्ष के कार्यों को करना (2) महासभा व प्रबंध समिति की बैठकें तथा सम्मेलन के आयोजन में मदद व सहयोग करना।

(स) महामंत्री :- महामंत्री इस संस्था का मुख्य कार्य अधिकारी होगा उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :-

(1) सदस्यों को बैठकों की सूचना देना (2) प्रत्येक कार्यवाही का विवरण लिखना तथा सुरक्षित रखना (3) अध्यक्ष को सभा तथा प्रबंध समिति के कार्यों में सहयोग देना (4) समिति के अभिलेखों का रखरखाव करना। 5- पत्र व्यवहार करना 6- नवीन सदस्य बनाना। 7- प्रबंध समिति का अध्यक्ष एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना। 8- बैठकें तथा सम्मेलन का आयोजन करना 9- एक समय में 200/-रुपये खर्च करने का अधिकार।

(द) मंत्री :- महामंत्री की सहायता करना 2- महामंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से महामंत्री का दायित्व निर्वहन करना 3- अध्यक्ष अथवा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य को करना।

(य) सांस्कृतिक मंत्री :- 1. समिति द्वारा आयोजित बैठकों व सम्मेलनों की अधिसूचना प्रदान करना। 2- सांस्कृतिक आयोजन का प्रबंध करना।

(र) कोषाध्यक्ष :- 1- दान प्राप्त की रसीद जारी करना तथा लेखा जोखा रखना 2- बैंक खातों का संचालन 3- वार्षिक बैठक में आय व्यय का लेखा प्रस्तुत करना तथा अन्य बैठकों में वित्तीय स्थिति से अवगत करना 4- आय व्यय लेखा को लेखा परीक्षक से परीक्षण कराना 5- दो सौ रुपये पास रखने का अधिकार।

5- लेखापरीक्षक :- 1- वार्षिक बैठक से पूर्व आय व्यय सम्बन्धी अभिलेखों का परीक्षण करना तथा अथवा महामंत्री को उपलब्ध कराना।

(व) सदस्य :- 1- बैठकों व सम्मेलनों में भाग लेना 2- महासभा के कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु सहयोग करना 3- उपरोक्त कार्यों से सम्पर्क करना सद्भाव बढ़ाना। 4- प्रबंध समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष

---- 5 ---

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

(4) संस्था के नियमानुसार (सोसायटी) में संशोधन पर विचार करना।
(5) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयास करना।

9- गठन :- प्रबंध समिति का गठन साधारण सभा निर्वाचन से किया जायेगा प्रबंध समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

अध्यक्ष -	(एक)	सांस्कृतिक मंत्री	(एक)
उपाध्यक्ष -	(दो)	कोषाध्यक्ष	(एक)
महामंत्री	(एक)	कार्यालय मंत्री	(एक)
मंत्री	(चार)	सदस्य	(तीन)

अपवाद :- लेकिन प्रतिबन्ध यह होगा कि अधिमान व मनोनयन की स्थानीय कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही अध्यक्ष एवं महामंत्री होंगे।

स्पष्टीकरण :- जहाँ तक संभव हो प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व प्रबंध समिति में होगा।

अध्यक्ष प्रबंध समिति की अनुमति से पांच विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन दो वर्षों के लिये प्रबंध समिति के समक्ष तक के लिये कर सकते हैं मनोनयन से महिला को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(8) बैठक :- प्रबंध समिति की बैठक प्रति तिमाही तथा वर्ष में कम से कम चार होंगी।

(9) सूचना :- बैठक की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व भेजी जायेगी।

(10) गणपूर्ति :- प्रबंध समिति के 5 सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

(11) रिक्त स्थानों की पूर्ति :- रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबंध समिति द्वारा मनोनयन से होगी।

(12) प्रबंध समिति के कर्तव्य :- निम्नलिखित कर्तव्य व अधिकार प्रबंध समिति के होंगे।

(1) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति पर करना तथा आवश्यकतानुसार अभियान चलाना।
(2) प्रबंध समिति साधारण सभा की बैठकें बुलाना।
(3) समय समय पर कार्य की समीक्षा करना।
(4) संस्था की सम्पत्ति अर्जित करना तथा उसका रख रखाव करना।
(5) संस्था के दान व अन्य सम्पत्ति का लेखा जोखा रखना।
(6) संस्था के कोष हेतु विशेष अभियान चलाना।
(7) अच्छे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये उत्साहित करना।
(8) उप समिति गठित कर किसी सदस्य को विशेष कार्य सुपुर्द करना।
(9) विशिष्ट व्यक्तियों को सदस्य अतिथि आमंत्रित करना।
(10) किसी पदाधिकारी को किसी पद से अलग करने की स्वीकृति देना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	,,
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

6- इस विज्ञप्ति द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि हमने सूचित कार्य खण्ड विकास खण्ड घोषणा रविवार एक 1800 के अर्थात इस समिति का गठन किया है।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-			
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-	आदर्श कुलश्रेष्ठ		
9-			
10-			
11-			
12-			
13-			
14-			
15-			
16-			
17-			
18-			
19-			
20-			
21-			
22-			
23-			
24-			
25-			
26-			
27-			

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

17- श्री [illegible] कुमार कुशवाहा	श्री [illegible] कुशवाहा	21 [illegible] कॉलोनी [illegible] सदर [illegible] आगरा।	"	जिला [illegible] [illegible] कलक्टर
18- श्रीमती [illegible] कुमारी	पत्नि श्री रामेन्द्र प्रसाद कुशवाहा	[illegible] [illegible] [illegible]	" "	
19- श्री विजय प्रकाश कुशवाहा	श्री बलवीर सिंह कुशवाहा	8 [illegible] नगर [illegible] [illegible] मथुरा	" "	जिला कोषाधिकारी मथुरा
20- श्री चन्द्रप्रकाश कुशवाहा	स्व० श्री [illegible] प्रसाद कुशवाहा	102 [illegible] नगर मथुरा	" "	सरकारी सेवा रेलवे
21- श्री प्रो. [illegible] कुशवाहा	स्व० श्री [illegible] सिंह कुशवाहा	एम.ए. [illegible] [illegible] विभाग [illegible] मथुरा।	"	" शिक्षा विभाग [illegible] मथुरा
22- श्री [illegible] प्रकाश कुशवाहा	स्व० श्री [illegible] कुशवाहा	[illegible] [illegible] [illegible] रेलवे स्टेशन के पास रेलवे रोड मथुरा।	" "	सरकारी सेवा
23- श्री [illegible] कुमार कुशवाहा	श्री [illegible]	27/220 सर्वोदय मार्ग विश्वविद्यालय [illegible]	" "	एडवोकेट
24- श्री [illegible] कुशवाहा	श्री केदारनाथ कुशवाहा	एम.ए. [illegible] [illegible] के सामने [illegible] रोड [illegible]	"	जिला [illegible] एम.आई.सी.
25- श्री [illegible] कुशवाहा	श्री [illegible]	4/101 [illegible] मुहल्ला [illegible] हरियाणा	" "	
26- श्री [illegible]	श्री हरनारायण	43 [illegible] नगर [illegible]	" "	सरकारी सेवा
27- श्री [illegible] कुमार कुशवाहा	श्री [illegible] प्रकाश कुशवाहा	558 [illegible] रोड [illegible] ।	" "	एडवोकेट
28- श्री [illegible] कुमार कुशवाहा	स्व० श्री विरेन्द्र सिंह कुशवाहा	11 [illegible] [illegible] [illegible] रोड [illegible] [illegible] बम्बई	" "	निजी व्यवसाय

आलोक कुशवाहा

पी. कुमार कुशवाहा

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
[illegible] सेमाफोर [illegible]
[illegible] क्षेत्र, आगरा

24810

6- संस्था से सम्बद्ध सभी समाप्त होने की प्रक्रिया :- यह सभी से सम्बद्ध होने के लिये एक प्रवेश शुल्क रुपये 51-00 से साथ इक ईयों को देना होगा वार्षिक शुल्क के रूप में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक इक ई अपनी कुल सदस्य संख्या के आधार पर एक रुपया प्रति सदस्य सदस्यता शुल्क यह सभी कोष में जमा करेगी।

प्रवेश शुल्क से साथ पांच व्यक्तियों के नाम प्रतिनिधित्व के रूप में भेजने होंगे इक ई का अस्तित्व समाप्त हो जाने पर इस तथ्य की सदस्यता भी समाप्त हो जावेगी।

संस्था के इस संस्था के तीन अंग

(1) साधारण सभा।
(2) प्रबंध समिति।
(3) सचिवालय होंगे।

साधारण सभा :-

(अ) गठन:- साधारण सभा का गठन नियम 5 में दिये सदस्यों से होगा।

(ब) बैठक :- (1) सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी।

(2) विशेष बैठक कभी भी 10 प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर अथवा संस्था के संविधान परिवर्तित हेतु प्रबंध समिति द्वारा बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना :- सामान्य बैठक अथवा विशेष बैठक बुलाने हेतु 15 दिन पूर्व सूचना भेजनी होगी।

(द) गणपूर्ति :- गणपूर्ति संस्था के सम्बद्ध इक ईयों के प्रतिनिधियों की संख्या 20 प्रतिशत होगी विशेष बैठकों के लिये गणपूर्ति 25 प्रतिशत होगी गणपूर्ति न होने पर बैठकें अध्यक्ष द्वारा स्थगित की जावेगी स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति नियम प्रभावी नहीं होगा।

(य) साधारण सभा के कर्तव्य :- साधारण सभा के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(1) प्रबंध समिति के गठन हेतु निर्वाचन करना।
(2) वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना।
(3) आय व्यय संबंधी लेखा रिपोर्ट पर विचार करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

नियमावली

1- संस्था का नाम :- अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा।

2- संस्था का मुख्यालय :- कुलश्रेष्ठ सभा भवन, तहसील व जिला के निकट आगरा (उ0प्र0)।

3- कार्य क्षेत्र :- यह सभा का कार्य क्षेत्र भारतवर्ष होगा।

4- संस्था के उद्देश्य :-

(क) कुलश्रेष्ठ समाज में भ्रातृत्व भावना का विकास करना एवं कुलश्रेष्ठ आदर्श समाज बनाने हेतु प्रयास करना।

(ख) समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति के लिये कार्य करना।

(ग) समाज के विद्यार्थी को शैक्षणिक उन्नति हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा इस कार्यपूर्ति हेतु समितियों का गठन करना।

(घ) समाज के अनाथ तथा अन्य प्रकार से असहाय व्यक्तियों की सहायता करना।

(ङ) सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना।

(च) युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करना।

(छ) युवक व कन्याओं के विवाह में सहायता करना।

(ज) समारोह आदि के लिये समारोह भवन तथा ठहरने के लिये विश्राम गृह उपलब्ध कराना।

(झ) कुलश्रेष्ठ बन्धुओं को संगठित करना।

(ञ) प्रचार हेतु पत्र एवं पत्रिका में प्रकाशित करना।

5- संस्था की सदस्यता :- इस संस्था के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

सामान्य सदस्य :- प्रदेश, आगरा नगर तहसील के कुलश्रेष्ठ सभा की इकाईयां इस संस्था से सम्बद्ध होंगे, वह सामान्य सदस्य होंगे प्रत्येक इकाई का प्रतिनिधित्व उसी इकाई द्वारा निर्वाचित पांच प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा जो दो वर्ष के लिये होंगे लेकिन यदि दो वर्ष के बाद नये प्रतिनिधियों को उसी इकाई से प्राप्त नहीं होते हैं तो मान लिया जायेगा कि वर्तमान प्रतिनिधि ही भविष्य के लिये रहेंगे।

---2

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम :- अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा।

2- संस्था का मुख्यालय :- कुलश्रेष्ठ सभा भवन, महासचिव के निवास आगरा 282001

3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- महासभा का कार्यक्षेत्र भारत वर्ष होगा

4- संस्था के उद्देश्य :- इस महासभा के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे

(क) कुलश्रेष्ठ समाज में भ्रातृत्व भावना का विकास करना एवं कुसंस्कृत आदर्श समाज बनाने हेतु प्रयास करना

(ख) समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, व शारीरिक उन्नति के लिये कार्य करना।

(ग) समाज के विद्यार्थियों को शैक्षिक उन्नति हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा इस कार्यपूर्ति हेतु समितियों का गठन करना

(घ) समाज के अनाथ तथा अन्य प्रकार से असहाय व्यक्तियों की सहायता करना

(ङ) सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना।

(च) युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करना।

(छ) युवक व कन्याओं के विवाह में सहायता करना।

(ज) कुलश्रेष्ठ बन्धुओं को संगठित कराना।

(झ) प्रचार हेतु पत्र एवं पत्रिकायें प्रकाशित करना।

संस्था के प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, आयु, पद, व्यवसाय, जिनमें संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-	श्री सालिगराम कुल०	श्री जयंती प्रसाद कुल०	51 बगलामुखी मन्दिर के पीछे।	अध्यक्ष	सरकारी सेवा
2-	श्री रामेन्द्र प्रसाद कुल०	श्री राम स्वरूप कुल०	ताजगंज कटरा शाहगंज आगरा		व्यवसाय

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

महामंत्री द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना।

11- मंत्रीगण :- संस्था का एक मंत्रीगण होगा जो कार्यालय व सचिव का कार्य देखेगा सौंपा गया कार्य करेगा और अध्यक्ष होगा जिसे कार्यालय कार्यालय स्टाफ रखेगा। कार्यालय मंत्री को पदाधिकारी प्रबंधन समिति का भाग माना जाएगा होगा और प्रबंधन समिति के बुलाने पर भी उपस्थित बना रहेगा प्रबंधन समिति को कार्यालय को हटाने का अधिकार होगा।

12- संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

1- नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर पहले प्रबंधन समिति विचार करेगी तथा संशोधन मसौदा को तैयार किया जायेगा।
2- साधारण सभा के विशेष बैठक में संशोधन मसौदा पर विचार किया जायेगा।
3- उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के मत प्राप्त होने पर किसी भी नियम में संशोधन किया जा सकेगा।

13- संस्था का कोष :- संस्था का कोष निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होगा

(अ) सदस्यता शुल्क से प्राप्त धन।
(ब) दान से प्राप्त धन।
(स) चंदा से प्राप्त धन।
(द) अन्य प्रकार से प्राप्त धन।

संस्था का उपरोक्त अर्जित कोष किसी भी बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा खातों का संचालन अध्यक्ष महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

14- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण :- संस्था के आय एवं व्यय का विवरण कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जिसका वार्षिक लेखा परीक्षण होगा।

15- अदालती कार्यवाही का संचालन :- संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही होती है तो उसका संचालन अध्यक्ष महामंत्री अथवा प्रबंधन समिति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

16- संस्था के अभिलेख :- संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होंगे :-
(क) सदस्यता रजिस्टर (ख) कार्यवाही रजिस्टर (ग) स्टाफ रजिस्टर। (घ) बैंक पास तथा लेजर (ङ) अन्य।

17- संस्था के विघटन तथा निर्गत सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में संस्था के विघटन के दशा में विघटित सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के धारा 13 व 14 के अनुसार किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट
आगरा क्षेत्र, आगरा